

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक- 1082/11-सी-FP/UP/Trans/24154/2017, लखनऊ, दिनांक: अक्टूबर 16, 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ०प्र० शासन,
वन एवं वन्य जीव, अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- जनपद-मीरजापुर में उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 132 के०वी० जिगना दादर कला पारिषण लाइन के निर्माण हेतु 6.5475 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 02 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/05/50/2017/एफ०सी०/76, दिनांक-14.10.2017 एवं उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक-भा०स० 157/14-2-2017-800(83)/2017, दिनांक-18.10.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयोंकित प्रकरण में वांछित आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ने अपने पत्रांक-1542/मीरजापुर/33, दिनांक-03.10.2017 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है। अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित संशोधित प्रस्ताव की दो मूल प्रतियाँ इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया प्रस्ताव की एक मूल प्रति भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अलीगंज, लखनऊ को संदर्भित करने की कृपा करें।

संलग्नक:-यथोक्त (सीडी सहित)।

भवदीय
16/10
(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- /11-सी-FP/UP/Trans/24154/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में।
2. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर।
4. अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत पारिषण खण्ड, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, पथरहिया रोड, मीरजापुर।

(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।